**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *9**

**24 नवम्बर, 2014 को उत्तर के लिए**

**सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का**
**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

***9**. डॉ भोला सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इस्पात क्षेत्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस्पात के कुल उत्पादन में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के योगदान का प्रतिशत क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात के आयात एवं निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ का कितना प्रतिशत, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेष रूप से बिहार में उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस्पात क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के इस्पात उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**इस्पात और खान मंत्री** **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर**

(क) से (ड.) : एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

.....

**"सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" के बारे में डॉ भोला सिंह, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *9 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में इस्पात क्षेत्र में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक -1 में दिये गये हैं।

(ख) वर्ष 2013-14 में देश में क्रूड इस्पात के कुल उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का योगदान 20.5 प्रतिशत है।

(ग) वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 0.24 मिलियन टन फिनिश्ड इस्पात का निर्यात किया था। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने फिनिश्ड इस्पात का आयात नहीं किया था।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के दौरान के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत किया जाना है। ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2014 से लागू हैं। सी एस आर हेतु निधियों का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है।

(ड.) सरकार ने इस्पात क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए, ताकि देश की आवश्यकता पूरी हो सके, समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। उठाए गये कुछ कदम निम्नवत् है:-

i. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और एनएमडीसी लिमिटेड अपने संबंधित ब्राउन फील्ड/ ग्रीन फील्ड स्थानों में क्रूड/फिनिश्ड इस्पात क्षमताओं में महत्वपूर्ण विस्तार करने में प्रक्रियारत है।

ii. इस्पात क्षेत्र में विभिन्न निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए इस्पात मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) का गठन किया गया हैं।

iii. इस्पात क्षेत्र समेत विनिर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में 1000 करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न स्वीकृतियों में तेजी लाने/ इनसे संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) का गठन किया गया है।

उपरोक्त कदमों के अतिरिक्त, घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता सुधारने और घरेलू मूल्य वर्धन बढ़ाने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। हाल ही में, सरकार ने लौह अयस्क पैलेटों के निर्यात पर यथा मूल्य 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाया है। वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में स्टेनलेस स्टील के चपटे उत्पादों पर सीमा शुल्क की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत की गई है।

***

**(लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9, दिनांक 24.11.2014)**

**अनुलग्नक-1**

| **इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में इंस्पात क्षेत्र में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य/संघ शासित राज्य-वार ब्यौरा** | | |
|---|---|---|
| क्र.स. | संगठन का नाम | राज्य/ संघ शासित राज्य |
| 1 | स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संयंत्र | नई दिल्ली (कार्पोरेट कार्यालय) |
| क) | भिलाई इस्पात संयंत्र | छत्तीसगढ़ |
| ख) | दुर्गापुर इस्पात संयंत्र | पश्चिम बंगाल |
| ग) | राउरकेला इस्पात संयंत्र | ओडिशा |
| घ) | बोकारो इस्पात संयंत्र | झारखण्ड |
| ङ) | इंडियन आयरन एण्ड स्टील प्लांट | पश्चिम बंगाल |
| च) | अलॉय इस्पात संयंत्र | पश्चिम बंगाल |
| छ) | सेलम इस्पात संयंत्र | तमिल नाडु |
| ज) | विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट | कर्नाटक |
| 2 | राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड | आंध्र प्रदेश |
| 3 | एनएमडीसी लिमिटेड | आंध्र प्रदेश |
| 4 | केआईओसीएल लिमिटेड | कर्नाटक |
| 5 | मेकॉन लिमिटेड | झारखण्ड |
| 6 | मॉयल लिमिटेड | महाराष्ट्र |
| 7 | एमएसटीसी लिमिटेड | पश्चिम बंगाल |
| 8 | हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) | पश्चिम बंगाल |
| 9 | फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) | छत्तीसगढ़ |
| 10 | बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज | पश्चिम बंगाल |